

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936

No. 1011

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAFTRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15-3/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट-III.-विश्वविद्यालय अनुदान आग्नोग अधिनियम, (1956) (3-1956) की धारा (ग) के उप-अनुच्छेद (1) के अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदृद्वारा निम्म विनियम सृजन करता है, नामत :-

- (1) यह विनियम 'उच्चतर शैक्षिक संस्थानों' में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे''।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों—I एवं II के अंतर्गत रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा:—

"सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) (माह)....... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त"

उपमन्यु बसु सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

पाद टिप्पणी:-- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2008 में प्रकाशित किया गया था।

अनुलग्नक⊸I

	014 4	. 41	,,,,,,,							
मैं	 धी यजी	र्मे सीर्	(संस्थान विनियमों	का की	ं नाम) प्रति	प्रवेश प्राप्त	िदया की है	ं गया (जो	ं हें, उसन उच्च इसके आगे से	। शाक्षक

- 2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलिति हैं।
- 3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता है।
- 4. मैं एतदहारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि..... (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा / होऊँगी जिसे इन विनियमों की घारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।
 - (ख) में ऐसे किसी आधरण अध्यवा अनाधरण के काम में न तो भाग लूँगा / लूँगी न ही उसके पड्यन्त्र में अध्यवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
- 5. मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अध्यवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
- 6. मैं घोषित करता / करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रदेश से बाधित किया है-और मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया दिन माह यर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित. किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संझान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष.......

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

अनुलग्न**क** $-\Pi$

नामः

माता-पिता / अभिमावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता
1. श्री/श्रीमती/सुश्री(माता—पिता/अभिमावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सिंहत) के पिता—माता/अभिमावक, जिसके छात्र को (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस ब्रात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैंगिंग की अथवा रैंगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैंगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरूद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता / करती हूँ एवं आश्वासन देता / देती हूँ कि
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।
(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की घारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा—तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अधवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता / करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में दिद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा बढ़यन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निकासित नहीं हुई है / हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
घोषित किया गया दिन माह वर्ष वर्ष
रापथकर्ता के हस्ताक्षर
नामः
पताः
दूरभाष सं./मो. नं:
सत्याः पन
सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयर्थाध कही गई है।
सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष
शपथकर्ता के हस्ताक्षर

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th December, 2013

- No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-
 - (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:
- "Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07,2009.

ANNEXURE-I

UNDERTAKING BY THE STUDENT

- I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms.___, having been admitted to (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

(5)	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
(6)	I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
Declar	red thisday of month of year.
	Signature of deponent Name:
	VERIFICATION
	ed that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false othing has been concealed or misstated therein.
Verifi	ed at (place) on this the (day) of (month). (year).
	Signature of deponent Name:
	ANNEXURE-II
	UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN
I. N	Ar/Mrs/Ms. (full name of parent/guardian)
father admitt Raggi under	mother/guardian of, (full name of student with admission / registration/enrolment number), having been ted to (name of the Institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of an Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully stood the provisions contained in the said Regulations."
(2)	I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
(3)	I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
(4)	I hereby solemnly aver and undertake that
	(a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
	(b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
(5)	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

1431 callu-2

	•
- 1	н
	ш

Declared this	day of	month	of	year.				
·						Signatur Name: Address:	e of deponent	
							ne/Mobile No.	.:
Transfer d Alice At		. 1 . 4 . 1 . 1 . 1		ICATION				
Verified that the cand nothing has be	ontents of this ut cen concealed or	ndertaking misstated	are true to the l	best of my know	wledge and no p	part of the un	dertaking is fa	lse
	on opnocatos of	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	aloi oni.			•	•	
Verified at Plac	c) on this the (d	<u>ay)</u> of	(month) (ve	ear) .				
				:		·		
		-					374 ·	
					· '.		mature of depo me:	ner
				•		•		
		,						
:			•					
i.		•						
	•							•